



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 23.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना आटा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्तगण राजेन्द्र प्रसाद उर्फ लल्ला पुत्र कालका प्रसाद निवासी ग्राम भदरेखी थाना आटा जनपद जालौन के विरुद्ध थाना आटा पर मु०अ०सं० 189/23 धारा 323/498ए/304बी/316 भादवि व १/ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना आटा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे/एफटीसी/सीएडब्ल्यू कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 13,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
शिवदास पाण्डेय



प्र०नि० मॉनीटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० संजय कुमार
कोर्ट मुहर्रिर



का० अखिलेश
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

